

मध्य प्रदेश शासन
गृह (सामान्य) विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमांक एफ 31-33/2006/दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त जिला सैनिक कल्याण अधिकारी
मध्यप्रदेश।

विषय :- द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को आर्थिक सहायता
संदर्भ :- इस विभाग के आदेश क्रमांक एफ 31-9/91/दो-ए (3) दिनांक
17/02/1997, क्रमांक एफ 31-9/91/दो-ए (3) दिनांक 09/11/1998
एवं आदेश क्रमांक एफ 31-33/2006 दो-ए(3) दिनांक 26/09/2012

—00—

इस विभाग के संदर्भित आदेश दिनांक 26/09/2012 के द्वारा द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों/विधवाओं को जीवन-यापन करने के लिये स्वीकृत पेंशन राशि रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) प्रतिमाह की दर से स्वीकृत की गई थी।

2/- राज्य शासन एतद्वारा उक्त आदेश दिनांक 26/09/2012 में आंशिक संशोधन करते हुए मध्यप्रदेश के द्वितीय विश्वयुद्ध के भूतपूर्व सैनिकों तथा उनकी विधवाओं को जीवन-यापन करने के लिये स्वीकृत पेंशन राशि रूपये 3000/- (रूपये तीन हजार) प्रतिमाह को बढ़ाकर रूपये 4000/- (रूपये चार हजार) प्रतिमाह किये जाने की स्वीकृति, आदेश जारी होने की दिनांक से प्रदान करता है।

3/- स्वीकृति की शर्त संदर्भित आदेश दिनांक 17/02/1997 एवं दिनांक 09/11/1998 के अनुसार रहेंगी।

4/- यह स्वीकृति आदेश, वित्त विभाग के यू0ओ क्रमांक- 861/सीआर-894/2015/ब-8/ चार दिनांक 13/08/2015 द्वारा दी गई सहमति के अनुशरण से जारी किया जा रहा है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(बी. आर. सुनहरे)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग

//2//

पृष्ठा क्रमांकएफ 31-33/2006/दो-ए(3)

भोपाल, दिनांक 17/08/2015

प्रतिलेपि:-

- 1- सचिव, भारत सरकार, केन्द्रीय सैनिक बोर्ड, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली।
- 2- महालेखाकार, मध्यप्रदेश, ग्वालियर/भोपाल।
- 3- अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन वित्त विभाग की ओर उनके यू0 ओ0 क्रमांक- 861/सीआर- 894/2015/ ब-8/ चार दिनांक 13/08/2015 के संदर्भ में।
- 4- प्रमुख सचिव, मुख्यमंत्री कार्यालय, मंत्रालय भोपाल।
- 5- प्रमुख सचिव, (समन्वय) मुख्य सचिव, कार्यालय मंत्रालय भोपाल।
- 6- राज्यपाल के सचिव, राज्यपाल सचिवालय, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 7- आयुक्त, जनसंपर्क, मध्यप्रदेश भोपाल।
- 8- निज सचिव, मान मंत्रीजी गृह विभाग भोपाल।
- 9- संचालक, सैनिक कल्याण मध्यप्रदेश भोपाल।
- 10- समस्त जिला कोषालय अधिकारी मध्यप्रदेश की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
- 11- फोल्डर फाईल।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन, गृह(सामान्य) विभाग